माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में दिनांक– 02.08.2014 को आहूत उड़नदस्ता प्रमंडलों द्वारा किये जा रहे कार्यों/जाँच की समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाहीः–

संचिका सं०- 10/2014 (T.T.R.I. RCD)

उपस्थितिः–

1. प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना
2. अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना
3. विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना
4. निदेशक, प्रशि०, परी० एवं शोध संस्थान, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना
5. अधीक्षण अभियंता, तकनीकी परीक्षण कोषांग, निगरानी विभाग, बिहार, पटना
6. अधीक्षण अभियंता, रा०उ०प० अंचल, पटना–सह–प्रभारी अधीक्षण अभियंता, उड़नदस्ता, प० नि० वि०
7. कार्यपालक अभियंता, उड़नदस्ता प्रमंडल सं०– 1/2/3/4, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना
8. उप सचिव (निगरानी), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना
9. उप निदेशक, परीक्षण एवं शोध संस्थान, प० नि० वि०, बिहार, पटना

उपरोक्त पदाधिकारियों की उपस्थिति में पथ निर्माण विभाग के उड़नदस्ता प्रमंडलों द्वारा किये जा रहे कार्यों/जाँच प्रक्रियाओं की समीक्षा की गई। सर्वप्रथम माननीय मंत्री द्वारा यह जिज्ञासा प्रकट की गयी कि उड़नदस्ता प्रमंडल कैसे जाँच हेतु कार्य स्थल पर जाते हैं और निर्माण सामग्रियों एवं किये गये कार्यों का प्रयोगशाला जाँच कहाँ कराया जाता है। श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह, अधी० अभि०, रा० उ० प० अंचल, पटना–सह–प्रभारी अधी० अभि०, उड़नदस्ता द्वारा बताया गया कि विभाग में सचिव अथवा अभियंता प्रमुख के यहाँ कोई शिकायत पत्र के द्वारा अथवा कार्यों की प्रगति की समीक्षात्मक बैठक में कोई मामला उजागर होने पर मुख्यालय से निदेश दिये जाने के उपरान्त कार्यपालक अभियंता, उड़नदस्ता प्रमंडल दल–बल के साथ कार्यस्थल पर जाते हैं। उनके द्वारा संबंधित प्रमंडल कार्यालय से संगत अभिलेखों की छाया प्रतियाँ प्राप्त कर सम्पन्न कार्यों एवं प्रयुक्त निर्माण सामग्रियों के नमूनों का संग्रहण कार्य स्थल से किया जाता है। उड़नदस्ता प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता द्वारा नमूनों को जाँच हेतु मुख्यालय अवस्थित परीक्षण एवं शोध संस्थान में जमा कर दिया जाता है तथा स्थल भ्रमण एवं प्राप्त अभिलेखों के आधार पर प्रारम्भिक प्रतिवेदन मुख्यालय में समर्पित किया जाता है। परीक्षण एवं शोध संस्थान से प्राप्त जाँचफल के आधार पर मुख्यालय में संबंधित मामले का अंतिम प्रतिवेदन उनके द्वारा समर्पित किया जाता है। यह जानने के उपरांत माननीय मंत्री की सहमति से प्रधान सचिव द्वारा निदेशित किया गया कि इस व्यवस्था में परिवर्त्तन किए जाने की आवश्यकता है। प्रभारी अधीक्षण अभियंता, उड़नदस्ता के चारो प्रमंडलों के कार्यपालक अभियंताओं के साथ बैठक कर स्वयं यह तय करेंगे कि कौन उड़नदस्ता अमुक सप्ताह में कहाँ जायेंगे। उड़नदस्ता दल सप्ताह में तीन दिन पथ निर्माण विभाग के चालू कार्यों का निरीक्षण और जाँच करेगें। उड़नदस्ता दल जब किसी जिला में पहुँचेंगे तो उक्त जिला में पथ निर्माण विभाग

के चालू कार्यों के साथ–साथ शिकायतवाले कार्यों का नमूना भी संग्रहित करेंगे। चालू कार्यों के सामग्रियों का प्रमंडल स्तर पर जाँच किये गये जाँचफल की प्रति भी साथ में लेते आयेंगे, जिसका वे मिलान मुख्यालय अवस्थित परीक्षण एवं शोध संस्थान से प्राप्त जाँचफल से करेंगे। अनुमान्य सीमा से अधिक का अंतर पाये जाने पर अग्रतर कार्रवाई हेतु मुख्यालय को प्रतिवेदित करेंगे ताकि प्रमंडलीय स्तर पर जाँच कार्यों को जिम्मेवारीपूर्ण एवं निष्पक्ष तरीके से सुनिश्चित किया जा सके।

उड़नदस्ता दल के पहुँचने की सूचना उनके पहुँचने के उपरान्त ही संबंधित कार्यपालक अभियंता एवं संवेदक को दी जाय।

2. प्रमंडलीय स्तर पर गुण नियंत्रण से संबंधित जो भी जाँच कार्य किये जायें उनके जाँचफल की एक प्रति निदेशक, प्रशि०, परी० एवं शो० सं०, प० नि० वि०, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराई जाय ताकि भविष्य में आवश्यकता होने पर उक्त जाँचफल का उपयोग उड़नदस्ता दल द्वारा किया जा सके।

3. मापी पुस्तिका में प्रमंडल स्तर पर गुण नियंत्रण से संबंधित जाँचफल की सूचना अंकित करना सुनिश्चित करने के लिए निदेश दियां गया।

4. OPRMC के तहत् संवेदक कार्य कर रहे हैं अथवा नहीं इसकी भी जाँच उड़नदस्ता दल द्वारा किया जाय जिसके लिए आवश्यक प्रपत्र तैयार करने का निदेश श्री चन्द्रशेखर, विशेष पदाधिकारी (यातायात) के तकनीकी सलाहकार को दिया गया।

5. विभाग में कार्यों के प्रति किसी भी प्रकार का शिकायत पत्र प्राप्त होने पर प्रारम्भिक जाँच प्रतिवेदन से माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग को 15 दिनों के भीतर अवश्य अवगत कराना सुनिश्चित किया जाय।

6. यह निर्णय लिया गया कि सम्पूर्ण राज्य में पथ निर्माण विभाग के कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए निदेशक, प्रशि०, परी० एवं शो० सं०, प० नि० वि०, बिहार, पटना को और अधिक शक्ति के साथ आवश्यक कार्यबल उपलब्ध कराया जाय।

7. अधीक्षण अभियंता, उड़नदस्ता एवं अधीक्षण अभियंता (अनुश्रवण) को भी कार्यों के बेहतर निगरानी हेतु सुदृढ़ करने का निर्णय लिया गया।

8. उड़नदस्ता अंचल/प्रमंडल को अपर सचिव/उप सचिव के साथ संबद्ध करने का निर्णय लिया गया।

9. परीक्षण एवं शोध संस्थान में जो कर्मी लगातार कई वर्षों से पदस्थापित हैं और जिनकी उपयोगिता वर्त्तमान में संस्थान के लिए नहीं है उसकी समीक्षा कर उनके स्थान पर योग्य कर्मियों को पदस्थापित करने का प्रस्ताव निदेशक, प्रशि०, परी० एवं शो० सं० समर्पित करेगें। वर्त्तमान में इनके स्थानान्तरण की शक्ति या तो

अभियंता प्रमुख को है अथवा मुख्य अभियंता, के० नि० सं०, प० नि० वि०, बिहार, पटना को है। कार्यहित में यह निर्णय लिया गया कि यह शक्ति निदेशक, प्रशि०, परी० एवं शो० सं०, प० नि० वि०, बिहार, पटना को दी जाय।

10. निविदा की शर्त्तों के अनुरूप संबंधित संवेदक द्वारा गुण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपकरणों के साथ जाँच की व्यवस्था कार्य स्थल पर सुनिश्चित किया जाय जिसमें प्रमंडल के संबंधित तकनीकी कर्मियों के द्वारा जाँच कार्य सम्पन्न कर विशिष्टियों के अनुरूप कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्ति किया जा सके।

11. प्रमंडल स्तर से गुण नियंत्रण से संबंधित जाँचफल तथा उड़नदस्ता दल द्वारा लाये गये नमूनों का मुख्यालय स्तर पर स्थापित परी० एवं शो० सं० में जाँचोपरान्त प्राप्त जाँचफल में भिन्नता पाये जाने की स्थिति में प्रमंडल स्तर पर जिन कर्मियों द्वारा जाँच कार्य सम्पन्न किया गया है उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाई की जायेगी। जाँच कार्य एवं संग्रह किये गये नमूनें गोपनीय रखा जाय।

12. मुख्यालय स्तर पर विधि कोषांग को सुदृढ़ करने का निर्णय लिया गया।

धन्यवाद के साथ बैठक समाप्त हुई।

प्रधान सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः– 8065 (S) पटना/दिनांकः– 25.8.14

प्रतिलिपिः– अभियंता प्रमुख/मुख्य अभियंता (सभी उपभाग)/अधीक्षण अभियंता (सभी कार्य अंचल)/कार्यपालक अभियंता (सभी कार्यप्रमंडल)/मुख्यालय अवस्थित सभी पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रधान सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः– 8065(S) पटना/दिनांकः– 25.8.14

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रधान सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

22/8/14

ज्ञापांक-284 पटना, दिनांक-17-09-2014

प्रतिलिपि- अवर सचिव [illegible], पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को वेबसाइट पर प्रकाशन करने हेतु समर्पित।

195 (कम्प्यूटर) 18/9/14

17.09.14
निदेशक,
प्र० प० एवं शो० सं०,
प० नि० वि०, पटना।

श्री रविकान्त [illegible]
18/9/14